चैक–लिस्ट

उत्तराखण्ड में इको–टूरिज्म इकाईयों सेः– होटल/ रिजॉर्ट/ स्पा/ मनोरंजन पार्क/ईको पार्क एवं रोप–वे आदि स्थापित करने हेतु दिशा–निर्देश की चैक लिस्ट।

योजना प्रारम्भ करने से पूर्व पूर्ण किये जाने वाले बिन्दुओं पर कार्यवाही :–

1– प्रोजेक्ट के संगठन का प्रकार

2– स्वामित्वः–

क– निजी स्वामित्व

ख– भागीदारी

ग– निजी कम्पनी

घ– सहकारी

च– अन्य

3– भूमि का विवरणः–

क– भूमि का प्रकार, कृशि योग्य/व्यवसायिक यदि कृशि भूमि है तो उसका निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन।

4– भूमि क्रय करने के लिये सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को भूमि क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा ताकि अपनी परियोजना हेतु भूमि चिन्हित करनी होगी।

5– योजना का विस्तष्त मानचित्र/साईड प्लान का अनुमोदनः–सम्बन्धित क्षेत्र के प्राधिकरण/विषेश प्राधिकरण तथा दून घाटी/साडा/नदी घाटी विकास प्राधिकरण/भागीरथी प्राधिकरण जहाँ जैसी स्थिति हो।

6– योजना प्रारम्भ करने के पूर्व निम्नलिखित वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करनी होंगीः–

क– बिजली का अस्थाई सयोजन निर्माण कार्य हेतु।

ख– पानी का अस्थाई सयोजन निर्माण कार्य हेतु।

ग– प्रदूशण एवं पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति।

घ– अग्निषमन विभाग से योजना का सर्वेक्षण ।

च– वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।

छ– सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।

7– ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रारूप पर अस्थाई पंजीकरण हेतु जिले के उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा।

योजना पूर्ण होने के पश्चात निम्नलिखित औपचारिकतायें आवश्यकतानुसार पूर्ण करनी होगी –

1– प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।

2– अग्निषमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।

3– भू–तत्व एवं खनिज कर्म (औद्योगिक विकास विभाग) से अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।

4– स्थाई विद्युत संयोजन ।

5– स्थाई जल संयोजन ।

6– सराय एक्ट पंजीकरण ।

7– श्रम विभाग में पंजीकरण ।

8– व्यापार कर विभाग में पंजीकरण ।

9– केन्द्रीय उत्पादन हेतु उद्योग तन्त्र विभाग में पंजीकरण ।

10– मनोरंजन कर विभाग में पंजीकरण ।

11– आय कर विभाग में पंजीकरण ।

12– आबकारी विभाग में पंजीकरण ।

13– अन्य ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली **"पर्यटन मित्र समिति"** की बैठक में सम्बन्धित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित आवेदन प्रारूप पर तीन प्रतियों में आवेदन करना होगा, जिससे वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र, लाईसेन्स एवं पंजीकरण की प्रक्रिया (एकल खिड़की व्यवस्था) के अर्न्तगत निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत कराया जाना सम्भव हो सके ।